संख्या-466/2020/2206/22-2-2019-17(227)/2017

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 23 अक्टूबर, 2020**

विषय:-केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बल्ली उर्फ मनमोहन पुत्र श्री हीरालाल, निवासी जनपद-झांसी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24537/प्रोबे0अनु0(2)-206/सला0समिति/(एम-02-07-2019), दिनांक 08-08-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बल्ली उर्फ मनमोहन पुत्र श्री हीरालाल, 28/01 प्रतापपुरा, थाना-प्रेमनगर, जनपद-झांसी का रहने वाला है। बन्दी ने अपने भाई राजू ऊर्फ पृथ्वीराज तथा मित्र धर्मेन्द्र के साथ मिलकर दिनांक 28-10-**2001** की सुबह 09:30 बजे देशी पिस्टल से अरविन्द पर फायर कर व पत्थर मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-59/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, झांसी के आदेश दिनांक 30.04.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.09.2012 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.01.2019 तक 17 वर्ष 02 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 07 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 21.01.2019 तक लगभग 36 वर्ष है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कर सकने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, कारागार में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झांसी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत दिनांक 12.06.2018 के अनुसार सिद्धदोष बन्दी बल्ली ऊर्फ मनमोहन पुत्र श्री हीरालाल बिना सजा पूर्ण किये समयपूर्व रिहाई का पात्र नहीं है। सलाहकार समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया। समिति के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी की आयु लगभग 36 वर्ष है, जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्यानुसार बंदी भविष्य में पुन: अपराध कर सकता है तथा अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है, का उल्लेख मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। पीठासीन अधिकारी झांसी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बल्ली ऊर्फ मनमोहन पुत्र श्री हीरालाल को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बल्ली उर्फ मनमोहन (बन्दी संख्या-26099) पुत्र श्री हीरालाल, निवासी जनपद-झांसी की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-466/2020/2206(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद हरदोई।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।